"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009"

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 291] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 22 सितम्बर 2009—भाद्र 31, शक 1931

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-32/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पालिक निगम रायगढ़, जिला-रायगढ़ के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	4	जगतपुर वार्ड
		34	बाजीनपाली डीपापारा वार्ड
		36	मिट्ठुमुड़ा वार्ड
		37	राजीवगांधी नगर नवापारा वार्ड
		38	देवारपारा वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	8	जोगीडीपा वार्ड
		30	जेलपारा वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	3	अम्बेडकर नगर वार्ड
		5	इंदिरानगर वार्ड
		6	कुम्हार पारा रीवापारा वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	27	उत्तर चक्रधर नगर विनोबा नगर वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	2	धांगरडीपा रामभांठा वार्ड
		9	रामगुड़ीपारा वार्ड
		14	बैकुन्ठपुर वार्ड
		15	दरोगापारा वार्ड
		26	कसेरपारा वार्ड
		28	दक्षिण चक्रधर नगर छोटे अतरमुंड़ा वार्ड
		31	बाजीराव पारा वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	1	राजीव नगर वार्ड
		18	सदर हटरी वार्ड
		32	बाजीनपाली महरापारा वार्ड
7.	महिला वर्ग	7	मधुवन पारा वार्ड
		11	दानीपारा वार्ड
		22	जूना बड़पारा वार्ड
		23	केलो ब्रिज वार्ड
		24	बेलादुला वार्ड
		29	पंजरी प्लांट वार्ड
		33	जूटम्लि वार्ड

Raipur, the 17th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-32/18/2009.—The List of the Reservation of Wards for Municipal Corporation Raigarh, Distt. Raigarh is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	4	Jagat Pur Ward
		34	Banjinpali Dipapara Ward
		36	Mithumuda Ward
		37	Rajiv Gandhi Nagar Navapara Ward
		38	Dewar Para Ward

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Scheduled Caste (Female)	8	Jogideepa Ward
		30	Jailpara Ward
3.	Scheduled Tribes	3	Ambedkar Nagar Ward
		5	Indira Nagar Ward
		6	Kumhar Para Reeva Para Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	27	Uttar Chakradhar Nagar Vinoba Nagar Ward.
5.	Other Backward Class	2	Dhangardeepa Rambhanta Ward
		9	Ramgudi Para Ward
		14	Baikunthpur Ward
		15	Daroga Para Ward
		26	Kaser Para Ward
		28	Dakshin Chakradhar Nagar Chote Atarmuda Ward.
		31	Bajirao Para Ward
6.	Other Backward Class (Female)	1	Rajiv Nagar Ward
		18	Sadar Hatri Ward
		32	Bajinpali Mahra Para Ward
7.	Female	7	Madhuban Para Ward
		11	Danipara Ward
		22	Juna Bad Para Ward
		23	Kelo Bridge Ward
		24	Beladula Ward
		29	Panjiri Plant Ward
		33	Jutemill Ward

रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-32/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगरपालिका खरसिया, जिला-रायगढ़ के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	4	डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	8	चंदनताल राम मंदिर वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	18	महात्मा गांधी वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)		निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	3	झांसी की रानी लक्ष्मी बाई वार्ड
		15	छत्रपति शिवाजी वार्ड
		16	महाराज अग्रसेन वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	6	चंद्रशेखर आजाद वार्ड
		7	संत कबीर वार्ड
7.	महिला वर्ग	1	वीर सांवरकर वार्ड
		10	श्याम मंदिर वार्ड
		13	रानी सती वार्ड

Raipur, the 17th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-32/18/2009.—The List of the Reservation of Wards for Municipal Council Kharsia, Distt. Raigarh is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	4	Dr. Bhimrao Ambedkar Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	8	Chandan Tal Ram Mandir Ward
3.	Scheduled Tribes	18	Mahatma Gandhi Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)		Nil
5.	Other Backward Class	3	Jhansi Ki Rani Laxmi Bai Ward
		15	Chhatrapati Shivaji Ward
		16	Maharaj Agrasen Ward
6.	Other Backward Class (Female)	6	Chandrashekhar Azad Ward
		7	Sant Kabir Ward
7.	Female	1	Veer Sawarkar Ward
		10	Shyam Mandir Ward
		13	Rani Sati Ward

रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-32/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पंचायत धरमजयगढ़, जिला-रायगढ़ के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	8	[illegible] नगर वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)		निरंक
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	3	पीपरमार वार्ड
		14	कोदवारीपारा वार्ड
		15	चिकटवानी वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	5	सिविल लाईन वार्ड
		13	झूलनबर वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	2	शाहपुर वार्ड
		9	बेहरापारा वार्ड
		10	तेन्दूभार्ग वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	4	तुर्रापारा वार्ड
7.	महिला वर्ग	11	श्री राम मंदिर वार्ड
		12	श्री शंकर मंदिर वार्ड

Raipur, the 17th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-32/18/2009.--The List of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Dharamjaigarh, Distt. Raigarh is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37

of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	8	Santosh Nagar Ward
2.	Scheduled Caste (Female)		Nil
3.	Scheduled Tribes	3	Pipermar Ward
		14	Kodwari Para Ward
		15	Chikatwani Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	5	Civil Line Ward
		13	Jhulanbar Ward
5.	Other Backward Class	2	Shahpur Ward
		9	Behra Para Ward
		10	Tendu Marg Ward
6.	Other Backward Class (Female)	4	Turra Para Ward
7.	Female	11	Shri Ram Mandir Ward
		12	Shri Shankar Mandir Ward

रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-32/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पंचायत घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक (1)	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया) (2)	वार्ड क्रमांक (3)	वार्ड का नाम (4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	4	डॉ. अम्बेडकर वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	3	महात्मा गांधी वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	1	स्वामी विवेकानंद वार्ड
		12	पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड
		14	गुरूनानक देव वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	5	लाल बहादूर शास्त्री वार्ड
		7	लोकमान्य तिलक वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	2	सुभाषचंद्र बोस वार्ड
		10	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
		11	शहीद भगत सिंह वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	6	सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड
7.	महिला वर्ग	15	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड

Raipur, the 17th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-32/18/2009.—The List of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Gharghoda, Distt. Raigarh is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	4	Dr. Ambedkar Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	3	Mahatma Gandhi Ward
3.	Scheduled Tribes	1	Swami Vivekanand Ward
		12	Pt. Jawahar Lal Nehru Ward
		14	Gurunanak Dev Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	5	Lal Bahadur Shastri Ward
		7	Lok Manya Tilak Ward
5.	Other Backward Class	2	Subhash Chandra Bose Ward
		10	Chandrashekhar Azad Ward
		11	Shahid Bhagat Singh Ward
6.	Other Backward Class (Female)	6	Sardar Wallabh Bhai Patel Ward
7.	Female	15	Dr. Rajendra Prasad Ward

रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-32/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पंचायत बरमकेला, जिला-रायगढ़ के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	15	शिवाजी वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	13	महाराणा प्रताप वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	1	भगत सिंह वार्ड
		2	दयानंद सरस्वती वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	4	दुर्गा वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	6	अम्बेडकर वार्ड
		9	महात्मा गांधी वार्ड
		12	दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	10	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
7.	महिला वर्ग	7	इन्दिरा वार्ड
		8	सुभाष चन्द्र बोस वार्ड

Raipur, the 17th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-32/18/2009.—The List of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Baramkela, Distt. Raigarh is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Scheduled Caste	15	Shivaji Ward

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Scheduled Caste (Female)	13	Maharana Pratap Ward
3.	Scheduled Tribes	1 2	Bhagat Singh Ward Dayanand Saraswati Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	4	Durga Ward
5.	Other Backward Class	6 9 12	Ambedkar Ward Mahatma Gandhi Ward Deendayal Upadhyay Ward
6.	Other Backward Class (Female)	10	Chandrashekhar Azad Ward
7.	Female	7 8	Indira Ward Subhash Chandra Bose Ward

रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-32/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रं. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पंचायत किरोड़ीमल नगर, जिला-रायगढ़ के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक (1)	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया) (2)	वार्ड क्रमांक (3)	वार्ड का नाम (4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	15	केबिनपारा वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	14	रेल्वेपारा वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	11	कोकड़ीतराई पूर्व वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	12	कोकड़ीतराई पश्चिम वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	4 7 10	मिनीनगर वार्ड विजयनगर पश्चिम वार्ड शान्तिनगर वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	3	आजाद नगर वार्ड
7.	महिला वर्ग	6 9	विजयनगर पूर्व वार्ड उच्चभिट्ठी रोड वार्ड

Raipur, the 17th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-32/18/2009.—The List of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Kirodimal Nagar, Distt. Raigarh is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	15	Cabin Para Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	14	Railway Para Ward
3.	Scheduled Tribes	11	Kokditarai Poorv Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	12	Kokditarai Pashchim Ward
5.	Other Backward Class	4 7 10	Mini Nagar Ward Vijay Nagar Pashchim Ward Shanti Nagar Ward
6.	Other Backward Class (Female)	3	Azad Nagar Ward
7.	Female	6 9	Vijay Nagar Poorv Ward Uchbhithi Road Ward

रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-32/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पंचायत लैलूंगा, जिला-रायगढ़ के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक (1)	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया) (2)	वार्ड क्रमांक (3)	वार्ड का नाम (4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	7	मुख्य बस्ती पश्चिम वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)		निरंक

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	4	हाई स्कूल पारा वार्ड
		6	बुढ़ीकुटेन वार्ड
		15	भदरापारा वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	5	रामनगर पारा वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	3	सिंचाई कालोनी वार्ड
		8	बेहरापारा वार्ड
		12	शान्तिनगर वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	1	इन्दिरानगर वार्ड
7.	महिला वर्ग	2	जूनाडीह वार्ड
		10	अघरिया पारा वार्ड
		11	मुख्य बस्ती पूर्व वार्ड

Raipur, the 17th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-32/18/2009.—The List of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Lailunga, Distt. Raigarh is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	7	Mukhya Basti Pashchim Ward
2.	Scheduled Caste (Female)		Nil
3.	Scheduled Tribes	4	High School Para Ward
		6	Budhikuten Ward
		15	Bhadra Para Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	5	Ram Nagar Para Ward
5.	Other Backward Class	3	Sinchai Colony Ward
		8	Behra Para Ward
		12	Shanti Nagar Ward
6.	Other Backward Class (Female)	1	Indira Nagar Ward
7.	Female	2	Junadih Ward
		10	Agharia Para Ward
		11	Mukhya Basti Poorv Ward

रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-32/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पंचायत सरिया, जिला-रायगढ़ के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक (1)	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया) (2)	वार्ड क्रमांक (3)	वार्ड का नाम (4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	14	महाराणा प्रताप वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)		निरंक
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	4	सुभाष चन्द्र बोस वार्ड
		5	स्वामी दयानंद सरस्वती वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	13	सरदार बल्लभ भाई पटेल वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	3	वीर सावरकर वार्ड
		7	डॉ. श्यामाप्रसाद वार्ड
		10	इंदिरा गांधी वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	11	विनोवा भावे वार्ड
7.	महिला वर्ग	2	रानी लक्ष्मीबाई वार्ड
		6	शहीद भगत सिंह वार्ड
		9	रविन्द्र नाथ टैगोर वार्ड

Raipur, the 17th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-32/18/2009.—The List of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Saria, Distt. Raigarh is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	14	Maharana Pratap Ward

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Scheduled Caste (Female)		Nil
3.	Scheduled Tribes	4	Subhash Chandra Bose Ward
		5	Swami Dayanand Saraswati Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	13	Sardar Vallabh Bhai Patel Ward
5.	Other Backward Class	3	Veer Savarkar Ward
		7	Dr. Shyama Prasad Ward
		10	Indira Gandhi Ward
6.	Other Backward Class (Female)	11	Vinoba Bhave Ward
7.	Female	2	Rani Laxmi Bai Ward
		6	Shaheed Bhagat Singh Ward
		9	Ravindra Nath Tagore Ward

रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-32/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पंचायत पुसौर, जिला-रायगढ़ के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	12	मां समलाई वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	14	बाबा साहब अम्बेडकर वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	6	गायत्री मंदिर वार्ड
		7	मां शबरीदेवी वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	9	रानी सागर वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	2	गरूड़ वार्ड
		13	मां बुढ़ीमाई वार्ड
		15	महात्मा गांधी वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	8	जगन्नाथ मंदिर वार्ड
7.	महिला वर्ग	1	इन्दिरा वार्ड
		3	सोढ़ापाट मंदिर वार्ड

Raipur, the 17th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-32/18/2009.—The List of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Pusor, Distt. Raigarh is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	12	Maa Samlai Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	14	Baba Saheb Ambedkar Ward
3.	Scheduled Tribes	6	Gaytri Mandir Ward
		7	Maa Shabri Devi Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	9	Rani Sagar Ward
5.	Other Backward Class	2	Garud Ward
		13	Maa Budhimai Ward
		15	Mahatma Gandhi Ward
6.	Other Backward Class (Female)	8	Jagannath Mandir Ward
7.	Female	1	Indira Ward
		3	Sodhapat Mandir Ward

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमन्त पहारे, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.